

11-07-23

पत्रावली वेग हुई। वकील गर्धी उपस्थित नहीं।
वकील गर्धी के उपस्थित नहीं होने पर मूल वाद
अदम पेंरवी - अदम हाजिरी में इसी स्तर पर खारिज
किया जा चुका है। अतः यह प्रा० पत्र द्रोचिक्कीन
होने के कारण इसी स्तर पर खारिज किया
जाता है। पत्रावली बाद तर्तीब तक्रमील होकर
दाखिल दफ्तर है।

निर्णय लिखाया जाकर खुले न्यायालय
में सुनाया गया।


(अमिता बिश्नोई)
RAS

उपखण्ड अधिकारी
घड़साना